# न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा ( आर.ए.एस. )

प्रकरण संख्या : 74 / 2024

1. हरीसिंह । पुत्रगण राजाराम समस्त जातिगण गूर्जर निवासीगण ग्राम हरीसिंह का पुरा
2. रामऔतार । मजरा हिनौता तहसील मनियां
3. रामप्रकाश ।
4. रामधार ।

.........वादीगण

**बनाम**

1. भीखाराम पुत्र बाबूलाल जाति कोली निवासी घर्रामी गली गड़रपुरा धौलपुर
2. गंगाराम पुत्र प्रीतम जाति कोली निवासी प्रताप विहार कोलोनी ओडेंला रोड़ धौलपुर
3. रेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू जाट पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी शारदा विहार कोलोनी ओडेंला रोड़ जिरौली धौलपुर

... प्रतिवादीगण

**दावा स्थाई निषेधाज्ञा**

सहायक कलक्टर मु० धौलपुर (राज०)

**उपस्थिति : श्री निशांत भार्गव एडवोकेट, वादीगण की ओर से**
**श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से**

**निर्णय** **दिनांक : 26.05.2025**

हरीसिंह बगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी 682 / 762 रकवा 0.1644 हैक्टेयर बाकै ग्राम बगचौलीखार तहसील मनियां जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार वादीगण है, विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध सारोकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी को हड़पना चाहते है। वादीगण की आराजी के उत्तर दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 820 / 680 (990 / 820) तथा 821 / 680 (991 / 820) स्थित है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी का भूखण्ड बनाकर बेचान करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सहयोग से वादीगण की खातेदारी की विवादित अराजी पर भी जबरन कब्जा करना चाहता है। तथा उसे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजी में सम्मिलित करना चाहता है। दावा दायरी से 7 दिवस पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 विवादित आराजी पर आया तथा उसने वादीगण को धमकी दी कि वह उनकी खातेदारी की आराजी व प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के खातेदारी की आराजी के मध्य में स्थित मेंढ़ को हटा ले नहीं तो वह बलपूर्वक उसे हटा देगा क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजी का रकवा वादीगण की आराजी में निकल रहा है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम क्योंकि जो आराजी हमारे नाम है उसका असली मालिक प्रतिवादी संख्या 3 है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि पहले विवादित आराजी की पैमाईश करा लो उसके बाद जो स्थिति बने उसके हिसाब से हम कार्यवाही कर लेंगे। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पैमाईश कराने से साफ इंकारी हो गये तथा वादीगण को धमकी कि उन्होंने तो नक्शे मे राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने हिसाब से तरमीम करा ली है। उन्हें कोई पैमाईश बगैरा नही करानी है। वह तो वादीगण व हम प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य स्थित मेढ़ को हटायेंगें। इसलिए प्रतिवादीगण को वादीगण की आराजी में के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर जबाबदावा प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 989 / 816 व खसरा नम्बर 991 / 820 बाकै ग्राम बगचोलीखार का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी संख्या 2 आराजी खसरा नम्बर 988 / 816 व खसरा नम्बर 990 / 820 बाकै ग्राम बगचोलीखार का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है, तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी के उक्त खसरा नम्बर पर के वादीगण पडोसी खातेदार काश्तकार हैं तथा वादीगण ने अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 682 / 762 की आड मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजी की मे... तोड़ दिया है। तथा वादीगण लट्ठ के बल पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनकी खातेदारी से बेदखल करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी आराजी आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

988/816 व खसरा नम्बर 990/820 बाकै ग्राम बगचौलीखार की पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के समक्ष प्रकरण गंगाराम बनाम तहसीलदार मनियां अन्तर्गत धारा 129 एलआरए वादी द्वारा हाजा प्रकरण से पूर्व पेश कर रखा है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 भीखाराम ने आराजी खसरा नम्बर 989/816 व खसरा नम्बर 991/820 बाकै ग्राम बगचोलीखार की पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के समक्ष प्रकरण भीखाराम बनाम तहसीलदार मनियां अन्तर्गत धारा 129 एलआरए वादी द्वारा हाजा प्रकरण से पूर्व पेश कर रखा है। वादीगण द्वारा हाजा प्रकरण प्रतिवादीगण की पैमाईश व पत्थरगढी की कार्यवाही रोकने हेतु प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादीगण की आराजी से वादीगण का कोई सम्बन्ध सारोकार नहीं है। बल्कि वास्तिविकता में वादीगण ही प्रतिवादीगण की आराजी से उनको बेदखल करना चाहते है। इसलिए दावा वादीगण मय हर्जा व खर्चा खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

दावा पर उभयपक्ष को सुना गया। वकील वादी ने अपने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अपनी आराजी के बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण लाये है। प्रतिवादीगण की आराजी वादीगण की आराजी से लगी हुई है। इसलिए प्रतिवादीगण मेढ़ तोड़कर वादीगण की आराजी में घुसना चाहते है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है।

वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादीगण ने गलत तथ्यों के साथ दावा पेश किया है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वैसे ही अपनी अपनी आराजी की पैमाईश कराना चाहते है। हाजा प्रकरण के स्थगन आदेश की वजह से पैमाईश की कार्यवाही नहीं की जा सकी, प्रतिवादी संख्या अपनी आराजी की पैमाईश कराकर अपनी हद में ही रहना चाहते है। वादीगण की आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सारोकार नहीं है और ना ही वह वादीगण की आराजी में घुसना चाहते है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की वहस सुनी। प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 680/762 बाकै ग्राम बगचौली खार तहसील मनियां जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार है। और उसी हैसियत से काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि उनका वादीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। और ना ही कब्जा किया है। वह स्वयं अपनी आराजी की पैमाईश कराना चाहते है। वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। धारा 188 के अधीन अनुतोष पाने के लिये वादी को स्वंय को टेनेन्ट सावित करना एवं कब्जा सावित करना आवश्यक होता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 79 के अनुसार वादीगण का विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार व काबिज होना वखूवी सावित होता है। चूंकि वादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार कृषक है, जिस कारण वादीगण धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः हम उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

## आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 682/762 बाकै ग्राम बगचोली खार तहसील मनियां जिला धौलपुर के में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेत नहीं करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी (पदेन)
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

## डिकी व मुकदमे इब्तदाई

**अज अदालत : सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर**
**व इजलास : डॉ साधना शर्मा ( आर.ए.एस. )**
**प्रकरण संख्या : 74 / 2024**

1. हरीसिंह । पुत्रगण राजाराम समस्त जातिगण गूर्जर निवासीगण ग्राम हरीसिंह का पुरा
2. रामऔतार । मजरा हिनौता तहसील मनियां
3. रामप्रकाश ।
4. रामधार ।

.........वादीगण

**बनाम**

1. भीखाराम पुत्र बाबूलाल जाति कोली निवासी घर्रामी गली गड़रपुरा धौलपुर
2. गंगाराम पुत्र प्रीतम जाति कोली निवासी प्रताप विहार कोलोनी ओडेंला रोड़ धौलपुर
3. नरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू जाट पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी शारदा विहार कोलोनी ओड़ेला रोड़ जिरौली धौलपुर

... प्रतिवादीगण

**दावा स्थाई निषेधाज्ञा**

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी मिनजानिव मुद्दई श्री निशांत भार्गव एडवोकेट व मिनजानिव मुद्दायलह योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 682 / 762 बाकै ग्राम बगचोली खार तहसील मनियां जिला धौलपुर के में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेत नहीं करने के आदेश दिये जाते है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.05.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर (मु0)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)